गांजा तस्करी के दोषी को 7 साल की सजा सुनाई

कोटा, (निसं)। अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी के करीबन छह साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस ने गांजा तस्करी के मामले में पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 50,000 के अर्थ दंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 1 जून 2020 को थानाधिकारी थाना उद्योगनगर मय जाप्ता भामाशाहमंडी रोड पुलिया प्रेम नगर में नाकाबंदी कर चैकिंग कर रहे थे इस दौरान पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक शख्स को मय प्लास्टिक के कट्टे सहित डिटेन किया। पुलिस ने संदेह होने पर प्लास्टिक कट्टे की तलाशी ली तो प्लास्टिक कट्टे में अवैध मादक पदार्थ 8 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया। एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए जिला बारां के नारेडा हाल महावीर नगर विस्तार योजना दीपक को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया। कार्यवाही व अनुसंधान करते हुए आरोपी दीपक एवं सह-अभियुक्त घनश्याम के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। 11 गवाह के बयान दर्ज कराये गये एवं 67 दस्तावेज पेश किये गये। सहअभियुक्त घनश्याम उक्त प्रकरण में मफ़रूर (फरार) चल रहा है।

'अपनी कमियों पर काम करें, मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी'

कोटा, (निसं)। मोशन एजुकेशन के फाउंडर और एजुकेटर नितिन विजय ने कहा कि एक बार लक्ष्य तय कर उसको पाने की दिशा में ईमानदार प्रयास शुरू कर दो। अपनी कमियां दूर कर लगातार मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। नितिन विजय बुधवार दोपहर मोशन के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों और अभिभावकों को संबोधित कर रहे थे।

कोटा में मोशन एजुकेशन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित हुआ।

फाउंडेशन डिवीजन के कार्यक्रम में चेयरमैन सुरेंद्र विजय, डायरेक्टर डॉ.स्वाति विजय और सीनियर फेकल्टीज ने भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर अनुशासित तैयारी के लिए प्रेरित किया। शाम को जेईई- नीट डिवीजन के ओरिएंटेशन हुए। इस दौरान विद्यार्थियों को मोशन के एकडमिक सिस्टम से परिचित करवाया गया। इसमें संस्थान के अकादमिक सिस्टम, टेस्ट पैटर्न और तैयारी की रणनीति की जानकारी दी। फाउंडेशन डिवीजन के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में नितिन विजय ने कहा-यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। करियर चुनने से पहले विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए कि उनकी रुचि किस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं और जिस मुकाम तक पहुंचना है उसके अनुरूप स्वयं को कैसे तैयार करना है। केवल लक्ष्य तय कर लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके अनुरूप अपनी दिनचर्या, आदतें और कौशल विकसित करना जरूरी हैं।

उन्होंने कहा कि सफल लोगों में एक समानता होती है-वे अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। यदि विद्यार्थी अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से पहचानकर उन पर काम करें, तो सफलता दूर नहीं रह सकती। उन्होंने विद्यार्थियों को सकारात्मक वातावरण में रहने और अच्छे मित्रों का चयन करने की सलाह देते हुए कहा कि दो-चार अच्छे साथियों के साथ पढ़ाई करने से प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा दोनों बनी रहती हैं। जेईई और नीट अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए नितिन विजय ने कहा कि आईआईटी और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कठिन नहीं, बल्कि अलग प्रकार की है। इसके लिए विद्यार्थी को खुद को उस स्तर का बनाना पड़ता है। दरअसल, भगवान आपको उतना ही देता है, जितना आप डिजर्व करते हैं, इसलिए तैयारी में कोई समझौता नहीं होना चाहिऐं। विद्यार्थियों को 100 प्रतिशत क्लास अटेंड करने, नियमित टाइम-टेबल बनाने और पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई में जुटने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी आज मेहनत करते हैं, वे भविष्य में बेहतर जीवन जीते हैं, जबकि जो आज समय गंवाते हैं उन्हें आगे चलकर संघर्ष करना पड़ता है। अपने संबोधन में नितिन विजय ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे डॉक्टर बीमारी का ईलाज तभी कर सकता है जब मरीज सही लक्षण बताए, उसी प्रकार शिक्षक भी तभी सही मार्गदर्शन कर सकता है जब विद्यार्थी अपनी समस्या स्पष्ट रूप से बताए। केवल यह कह देना कि नंबर नहीं आ रहे, पर्याप्त नहीं है; विद्यार्थी को यह बताना होगा कि किस विषय, किस चौप्टर या किस टॉपिक में कठिनाई है। सही प्रश्न पूछने पर ही सही समाधान मिलता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि अपनी कमजोरियों को छिपाने के बजाय उन्हें पहचानें, शिक्षकों से साझा करें और निरंतर सुधार की प्रक्रिया अपनाएं-यही सफलता का सबसे प्रभावी रास्ता है।ज्वाइंट डायरेक्टर और जेईई डिवीजन के हेड रामरतन द्विवेदी, नीट डिविजन के हेड अमित वर्मा, डिप्टी डायरेक्टर निखिल श्रीवास्तव श्रीवास्तव, सीनियर फैकल्टी और कंटेंट हेड जयंत चित्तौड़ा भी इस दौरान मौजूद थे।

कोटा में कृष्णा सेवा समिति द्वारा शहर में 'परिंडे अभियान' के अंतर्गत सर्किट हाउस क्षेत्र में पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। संस्था की अध्यक्ष चंचल शर्मा ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ परिंडे लगाए जा सकते हैं और उनकी नियमित देखभाल (जैसे पानी भरना आदि) की जिम्मेदारी कोई ले सकता है, तो कृपया हमसे करें हम आपकी जगह पर परिंडे लगवाने की व्यवस्था करेंगे।

नाम परिवर्तन

यह कि हम 1. राहुल माहेश्वरी (अवयस्क के पिता) 2. श्रुति माहेश्वरी (अवयस्क की माता) हमने अपने पुत्र का नाम समर्थ से बदलकर नया नाम समर्थ माहेश्वरी रख दिया है। भविष्य में हमारे पुत्र को समर्थ माहेश्वरी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-समर्थ माहेश्वरी पुत्र राहुल माहेश्वरी, प्लाट नं. 1 गायत्री नगर सिविल लाईन, बून्दी

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सीमा मीणा पत्नी श्री रामहरि मीना, निवासी मकान नं. एफ-2, समृद्धि नगर स्पेशल, मानपुरा, कोटा द्वारा प्लॉट नं. सी-19, समृद्धि नगर स्पेशल, ग्राम मानपुरा, तह. लाडपुरा, जिला कोटा (राज.) को खरीदने बाबत् करार श्री जगदीश कुमार कपूर पुत्र स्व. जोगेन्द्र लाल, निवासी 88, नजदीक सेटेलाईट हॉस्पिटल. रामपुरा, कोटा (राज.) से किया हुआ है। उक्त प्लॉट का आवंटन नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा श्री राजेश कपूर को किया गया था, जिसकी पट्टा विलेख का निष्पादन भी उनके पक्ष में दिनांक 30.05.2022 को किया गया जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, कोटा में दिनाक 17.08.2022 को हो रहा है। श्री राजेश कपूर की मृत्यु दिनांक 26.05.2025 को हो गई। श्री राजेश कपूर अविवाहित थे। उनकी मृत्युपरान्त उक्त प्लॉट के उनके सगे भ्राता जगदीश कुमार कपूर एवं अनिल कपूर संयुक्त रूप से स्वामी बनें। तदोपरान्त श्री अनिल कपूर द्वारा उक्त प्लॉट में निहित अपने 1/2 अविभाजित हिस्से का हक त्याग श्री जगदीश कुमार कपूर के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनाक 06.03.2026 से किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, कोटा में दिनांक 06.03.2026 को हो रहा है। कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त प्लॉट का नाम हस्तांतरण भी श्री जगदीश कुमार कपूर के पक्ष में जरिये कार्यालय आदेश दिनांक 08.04.2026 से किया जा चुका है। अगर किसी व्यक्ति अथवा वित्तीय संस्था को उपरोक्त वर्णित अचल संपति को बैंक में साम्यक् बधक रखने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति या एतराज हो तो वह सूचना प्रकाशन के 07 दिवस की अवधि में मुझे अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत कर दें, बाद गुजरने मियाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

कोटा
दिनांक : 29.4.26

राजेन्द्र मंगल एडवोकेट
मकान नंबर 322 महावीर नगर द्वितीय
कोटा राज. मो. 94148-02953

सर्व समाजजनों ने श्रद्धा-भक्ति से भावपूर्ण अभिनंदन किया

■ आचार्य का हुआ ऐतिहासिक मंगल प्रवेश

रामगंजमंडी, (निसं)। मुमुक्षु संयम मेहता को दीक्षा प्रदान करने आए आचार्य आनंदचंद्र सागर सूरी महाराज का बुधवार को रामगंजमंडी नगर में मंगल प्रवेश हुआ। पूरे मार्ग को स्वागत द्वारों से सजाया गया तथा कदम-कदम पर अक्षत वर्षा, चरण वंदन और जयघोष के साथ सर्व समाजजनों ने गुरुजनों का अभिनंदन किया।

जैन श्वेतांबर मंदिर में आयोजित धर्मसभा में आशीर्वचन देते हुए आचार्य ने कहा कि हम 1100 किलोमीटर का पैदल विहार कर यहाँ पहुँचे हैं। गर्मी अत्यंत तेज थी, हम पसीने से तरबतर हो गए थे, परंतु नगरवासियों की श्रद्धा, भक्ति और उत्साह देखकर अब उसी पसीने में भी परफ्यूम की सुगंध अनुभव हो रही है। आपके उत्साह ने हमारी सारी थकान दूर कर दी और हमारा 1100 किलोमीटर चलना सार्थक हो गया। उन्होंने कहा कि प्रवेश के दौरान यहाँ की भक्ति भावना देखकर उनके मन में रामगंजमंडी में चातुर्मास करने की इच्छा भी जागृत हो गई।

उन्होंने कहा कि अगला चातुर्मास अहमदाबाद में है और प्रारंभ में विचार था कि संयम मेहता की दीक्षा भी वहीं हो जाए, जिससे आधा मार्ग समाज चले और आधा मार्ग हम चलें। परंतु मेहता परिवार की रामगंजमंडी में ही दीक्षा कराने की तीव्र भावना थी। यहाँ आकर अनुभव हुआ कि यह केवल मेहता परिवार की नहीं, बल्कि पूरे रामगंजमंडी के सर्व समाज की भावना थी, अंततः भक्ति की विजय हुई।

पेशी के दौरान दो पक्षों में झगड़ा

कोटा, (निसं)। लाड़पुरा तहसील में पेशी के दौरान युवती पक्ष के लोगों ने हंगामा कर दिया व दूसरे पक्ष के लोगों के वाहनों पर पथराव किया। हंगामे की सूचना मिलते ही नयापुरा पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगो को शांति भंग में पकड़ा। नयापुरा थानाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि युवक आंवली रोजड़ी निवासी है और युवती नयापुरा इलाके के दोस्तपुरा की है, दोनो घर छोड़कर साथ रहने लगे जिसकी शिकायत युवती के परिजनों ने थाने में दी थी। जिस पर कार्यवाही करते हुए दोनों को लाड़पुरा तहसील में पेशी पर लाये थे इस दौरान कुछ लोगो ने हंगामा कर दिया।

हॉस्पिटल परिसर में आग लगी

छबड़ा (निसं)। राजकीय चिकित्सालय परिसर में अज्ञात कारणों के चलते बुधवार दोपहर विद्युत डीपी के पास कचरे के ढेर में आग लग गई। सूचना पर पालिका की फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने अस्पताल के कर्मचारियों की मदद से आग पर तत्काल काबू पा लिया। समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया।

शतरंज प्रतियोगिता का सफल आयोजन

कोटा, (निसं)। राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में बुधवार को खेल सप्ताह के चतुर्थ दिन शतरंज प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में महाविद्यालय के अनेक छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में कड़े मुकाबले के बाद ध्रुवल मालव (बी. कॉम चतुर्थ सेमेस्टर) ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि केशव प्रताप (बी. कॉम चतुर्थ सेमेस्टर) ने द्वितीय स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

खेल प्रभारी गिरधारी लाल यादव ने विजेताओं को शुभकामना देते हुए कहा कि सभी खिलाड़ियों ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। शतरंज केवल एक खेल नहीं बल्कि धैर्य एकाग्रता और रणनीति का अद्भुत संगम है। आपने जिस समझदारी और संयम के साथ खेला वह सराहनीय है। राजकीय कला महाविद्यालय कोटा में महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में मंगलवार को रानी लक्ष्मीबाई केंद्र का उद्घाटन किया गया।जिसमें अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफ़ेसर रोशन भारती ने की। मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफ़ेसर वी.के.पंचोली (सहायक निदेशक, कोटा) उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफ़ेसर मीरा गुप्ता राजकीय कला कन्या महाविद्यालय उपस्थित रहीं। लक्ष्मीबाई केन्द्र के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए प्राचार्य ने छात्राओं को प्रोत्साहित किया और छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। डॉ.मीरा गुप्ता ने रानी लक्ष्मी बाई केन्द्र के उद्देश्य के साथ ही छात्राओं को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनने की प्रेरणा दी। प्रोफेसर वी.के.पन्चोली ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि आज हमारे समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है।

पिछले कुछ वर्षों में महिला सुरक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इसके पीछे कारण है लगातार होते अपराधों में इजाफ़ा। मध्यकालीन युग से लेकर 21वीं सदी तक महिलाओं की प्रतिष्ठा में लगातार गिरावट देखी गयी। 29 अप्रैल को रानी लक्ष्मीबाई केन्द्र में मुख्य वक्ता प्रोफ़ेसर मनोरंजन सिंह रहे। भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को भी पुरुषों के समान, स्वतंत्र, गौरवमयी जीवन जीने का हक है।

अवैध शराब की पेटियां कार में छोड़कर भागे तस्कर

कोटा, (निसं)। सिमलिया पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार्यवाही करते हुए नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे कार चालकों का पीछा किया तो तस्कर कार में अवैध देशी शराब की पेटियां छोड़कर मौके से फरार हो गये, पुलिस टीम ने कार में तलाशी के दौरान कार में से अवैध देशी शराब के 240 पव्वे (5 पेटी) बरामद की। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध शराब की तस्करी व तस्करों की धरपकड़ के लिये अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस उप अधीक्षक राजेश ढाका के सुपरविजन में सिमलिया थाने के उपनिरीक्षक थानाधिकारी राजेन्द्र प्रसाद मीणा के नेतृत्व में टीम का गठन कर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के विरूद्ध कार्यवाही के लिये निर्देशित किया था।

'भाजपा महिलाओं की विरोधी, आपत्तिजनक टिप्पणी करना ही इनका काम'

कोटा, (निसं)। राजस्थान भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में महिला कांग्रेस कोटा शहर जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम के नेतृत्व में केशवपुरा चौराहे पर भाजपा प्रदेश प्रभारी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन कर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया।

कोटा महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश प्रभारी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया।

प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पुतले की लंबी जुबान को काले रंग से पोतते हुए भाजपा की अमर्यादित, अभद्र और स्तरहीन बयानबाजी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद पुतला दहन कर भाजपा के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया। तीखी नारेबाजी के बीच कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट संदेश दिया कि इस तरह की ओछी और अपमानजनक राजनीति को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला कांग्रेस कोटा शहर जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा का इतिहास महिलाओं के प्रति विरोध और अपमानजनक व्यवहार से भरा रहा है। जब भाजपा के पास जनहित के मुद्दों पर बोलने के लिए कुछ नहीं बचता, तब भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जैसे नेता कांग्रेस नेताओं पर व्यक्तिगत और निम्नस्तरीय टिप्पणियां कर रहे हैं।

एआईसीसी महासचिव एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ और जनप्रिय नेता पर की गई टिप्पणी भाजपा की हताशा और मानसिक दिवालियापन को दर्शाती है। शालिनी गौतम ने कहा कि लोकतंत्र में विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर गिरकर अपमान करना भाजपा की नकारात्मक राजनीति को उजागर करता है। सचिन पायलट ने सदैव युवाओं, किसानों और आमजन की आवाज को मजबूती से उठाया है। उन पर की गई ओछी टिप्पणी भाजपा की बौखलाहट का प्रमाण हैं। यह केवल सचिन पायलट का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। भाजपा के नेता लगातार विपक्ष के नेताओं पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, जो उनकी असहिष्णु मानसिकता को उजागर करता है। महिला कांग्रेस ने मांग की कि राधा मोहन दास अग्रवाल सार्वजनिक रूप से सचिन पायलट से माफी मांगें। यदि वे माफी नहीं मांगते है, तो महिला कांग्रेस प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी।

प्रदर्शन में स्वाति अग्रवाल, लाड़ कंवर गोचर, पिंकी लालवानी, शगुफ्ता पठान, राजेश सेन, संगीता संतवानी, आशा जैन, प्रीति गौतम, सीमा, अंकुर गौतम, नरोत्तम शर्मा, रमेश यादव, सोनू गौड़, आशीष गुर्जर, दीपक योगी, प्रवीण कुमार तिवारी, राजेंद्र खंडेलवाल, भगवान सिंह भाटी, अंकित पांचाल, करण सिंह नायक, संजय मेघवाल, पंकज वनवानी, अनिकेत गौतम, आशु सेन, सिद्धार्थ गोस्वामी, दुष्यन्त दरडा, बिहारी यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कार्यालय नगर परिषद बारां

क्रमांक :-नपबा/तामरी शाखा/2026/1055 दिनांक :-29.4.26

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मनोज गर्ग पुत्र श्री रामफल निवासी बारां द्वारा नाम हस्तान्तरण चाहने वास्ते आवेदन किया है। जिसमें पट्टा विलेख संख्या 695 दिनांक 12.11.2003 भूखण्ड संख्या निल खसरा संख्या 584 माप 231.11 वर्गफीट वाके अस्पताल के सामने बारां का श्री राजेन्द्र कुमार व श्री सुनील कुमार पुत्रगण श्री चतुर्भुज बंसल के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात जिला न्यायाधीश बारां द्वारा मुकदमा संख्या 26 वर्ष 2008, सुनील कुमार बनाम कंचन बाई में दावा वास्ते विभाजन राजीनामा के प्रति नम्बर 02 पर वर्णित श्री राजेन्द्र कुमार को उक्त पट्टे का माप 2080 वर्गफीट को दे दिया गया। जिसमें श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री चतुर्भुज बंसल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 25.10.2016 से उक्त भूखण्ड माप 2080 वर्गफीट को श्री मनोज गर्ग पुत्र श्री रामफल को बेचान कर दिया। आवेदक द्वारा इसी आधार पर अपने नाम नाम हस्तान्तरण चाहा है।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-251 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-29.04.26

आवास संख्या 1-ए-5 महावीर नगर तृतीय, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री अशोक कुमार चतर पुत्र श्री बाघमल चतर को किया गया था। उक्त आवास का पंजीयन श्री अशोक कुमार चतर पुत्र श्री बाघमल चतर द्वारा दिनांक 22.03.1993 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। श्री अशोक कुमार चतर पुत्र श्री बाघमल चतर की मृत्यु दिनांक 26.11.1999 को हो जाने के उपरान्त उक्त आवास का हस्तांतरण रिलिज डीड के आधार पर इनके पुत्र श्री अपूर्व चतर के पक्ष में दिनांक 14.10.2015 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। श्री अपूर्व चतर पुत्र श्री अशोक कुमार चतर द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 08.02.2016 को श्री विष्णु प्रसाद निरखी एवं श्री सत्यनारायण निरखी पुत्रान श्री गोपाल लाल निरखी को किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री विष्णु प्रसाद निरखी पुत्र श्री गोपाल लाल निरखी की मृत्यु दिनांक 10.06.2023 एवं इनकी पत्नी श्रीमती हंसा निरखी की मृत्यु दिनांक 20.04.2023 एवं इनकी माता श्रीमती विद्या बाई पत्नी श्री गोपाल लाल की मृत्यु दिनांक 31.12.2019 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में इनके पुत्र श्री रवि निरखी एवं इनकी पुत्रीयां श्रीमती प्राची पालीवाल व श्रीमती क्रतिका निरखी द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड आलेखित कर दिनांक 25.06.2025 को श्री सत्यनारायण पुत्र श्री गोपाल लाल के पक्ष में किया गया। श्री सत्यनारायण पुत्र श्री गोपाल लाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-ए-5 महावीर नगर तृतीय, कोटा का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्री सत्यनारायण पुत्र श्री गोपाल लाल के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री सत्यनारायण पुत्र श्री गोपाल लाल के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री सत्यनारायण पुत्र श्री गोपाल लाल के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/298 **विज्ञप्ति** दिनांक : 29.4.2026

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम नयानोहरा में स्थित कृषि भूमि योजना तिरूपति नगर भूखण्ड संख्या 44 खसरा नं. 55/01 आवेदक/आवेदिका श्रीमती रईसा बेगम पत्नि श्री मोहम्मद युसूफ निवासी छोटी मस्जिद की गली, मोखापाडा कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 596 दिनांक 02.02.2015 को आलोक जोशी पुत्र श्री पन्ना लाल जोशी के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 31.08.2015 से राजेश कुमार गर्ग पुत्र श्री बृजमोहन गर्ग, भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामरतन एवं राजेन्द्र कुमार सेन पुत्र श्री छीतर लाल सेन के पक्ष में किया गया। जिसका ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण आदेश क्रमांक KDA/FY25-26/MUT/2913 दिनांक 13.02.2026 से जारी किया गया। नामहस्तान्तरी द्वारा उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 28.02.2026 से आवेदिका के पक्ष में किया गया है।

अतः श्रीमती रईसा बेगम पत्नि श्री मोहम्मद युसूफ जैन के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/294 **विज्ञप्ति** दिनांक : 29.4.2026

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम बालिता योजना ''सुवालका रिद्धी-सिद्धी विहार विस्तार'' खसरा नं. 247 का भाग, 248 का भाग में स्थित भूखण्ड संख्या ए-18 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्रीमती नायरा नागर पत्नि श्री धनंजय निवासी मकान नं. ए-18, रिद्धी-सिद्धी विहार, बालिता रोड़, कुन्हाड़ी, कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 163 दिनांक 18.06.2021 को मै. रतनश्री जर्ये भागीदार संजय जैन पुत्र स्व. श्री रतन लाल जैन निवासी ए -70. रिद्धी-सिद्धी नगर, कुन्हाड़ी, कोटा राज. के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 15.11.2022 से श्री दीपक मनसानी पुत्र श्री प्रेमचन्द मनसानी निवासी - डॉ सुनील भार्गव के पास, चमन होटल के पीछे, नयापुरा, कोटा राज. को किया गया था। क्रेता द्वारा नाम हस्तांतरण करवाये बिना ही उक्त भूखण्ड का बेचान जर्ये पंजीकृत मुख्तार आम श्री मोहम्मद युनुस पुत्र श्री अब्दुल शकूर निवासी - 101, बंसल किराना स्टोर की गली, किशोरपुरा, दादाबाड़ी, कोटा राज. द्वारा जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 25.01.2024 से श्रीमती नायरा नागर पत्नि श्री धनंजय को कर दिया गया हैं।

अतः श्रीमती नायरा नागर पत्नि श्री धनंजय के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगा। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

कार्यालय नगर पालिका भवानीमण्डी जिला झालावाड़ (राज.)

क्रमांक:-न.पा.भ./भूमि/2026/88 दिनांक:-29.04.2026

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदकों ने नगरपालिका भवानीमण्डी में सीमान्तर्गत पट्टा/पट्टा नवीनीकरण/लीज हस्तांतरण/निर्माण स्वीकृति/अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है। उक्त संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 7 योम कार्यालय नगरपालिका में उपस्थित होकर दो प्रतियों में प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

क्र.सं.	नाम/पिता, पति का नाम	स्थान	विवरण
1	श्री प्रकाश चावला आ. श्री गोपाल दास	श्री नवकार धाम आवासीय कालोनी प्लाट नं. 10 शिवालय रोड के पास भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
2	श्री मितेश सुराना आ. श्री जितेन्द्र कुमार जैन	प्लाट नं. 21 सीयाराम आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
3	श्री ईश्वर चन्द मेहर आ. श्री बजरंग लाल	अनन्त विहार आवासीय कालोनी ब्लॉक डी प्लाट नं. डी-17 भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
4	श्री रोहित अमरवानी आ. स्व. श्री देवानंद, सुश्री योगिता अमरवानी पुत्री स्व. श्री देवानंद	शाखा कालोनी भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
5	श्री महेन्द्र सिंह आ. श्री करण सिंह	प्लाट नं. 25 एवं 26 बसन्त विहार आवासीय कालोनी खसरा नं. 874/3 का भाग पूर्वी भाग एवं 874/2 का पूर्वी भाग भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
6	श्री किशनलाल जाट आ. श्री रतन लाल जाट व श्री सुरेश चन्द जाट आ. श्री रतनलाल जाट	विनायक विहार आवासीय कालोनी प्लाट नं. 08 बाय पास रोड के पास गौशाला के सामने भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
7	श्री श्याममनोहर गुप्ता आ. श्री शिवनारायण गुप्ता	प्लाट नं. 07 वार्ड नं. 10 रिद्धी-सिद्धी आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	निर्माण स्वीकृति
8	श्री ईश्वर चन्द मेहर आ. श्री बजरंग लाल	अनन्त विहार आवासीय कालोनी ब्लॉक डी प्लाट नं. डी-17 भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
9	श्री रोहित अमरवानी आ. स्व. श्री देवानंद, सुश्री योगिता अमरवानी पुत्री स्व. श्री देवानंद	अस्पताल के पीछे शाखा गली वार्ड नं. 20 भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
10	श्रीमती निलम केलवा पत्नी श्री दिग्विजयसिंह सोलंकी	प्लाट नं. 12 पार्श्वनाथ विहार आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
11	श्रीमती वंदना प्रकाश श्रीवास्तव पत्नी श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	प्लाट नं. 25 पार्श्वनाथ विहार आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
12	श्रीमती नूरजहां बी पत्नी श्री मम्मू शाह	प्लाट नं. 26 का पश्चिमी भाग शान्ति मीणा की कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
13	श्री प्रकाश चावला आ. श्री गोपाल दास	श्री नवकार धाम आवासीय कालोनी प्लाट नं. 10 शिवालय रोड के पास भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
14	श्रीमती भारती गुप्ता पत्नी श्री चन्द्र शेखर गुप्ता	प्लाट नं. 04 जवाहर कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
15	सुश्री गौरी जीनगर पुत्री श्री प्रकाशचन्द	प्लाट नं. 14 अन्नपूर्णा नगर आवासीय कालोनी भवानीमण्डी	लीज हस्तान्तरण
16	श्री मोहम्मद इकबाल आ. श्री छन्नू मोहम्मद	तिरुपति नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 15 का दक्षिणी भाग मैला मैदान जाने वाले रास्ते पर भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
17	श्रीमती संगीता राठौर पत्नी श्री प्रमोद कुमार राठौर	सनातन नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 48 दुधाखेडी रोड पर भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
18	श्रीमती शामू बाई पत्नी श्री राजेश	बागरी मोहल्ला आवासीय कालोनी प्लाट नं. 09 का उत्तरी भाग भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
19	श्री मोहनलाल वर्मा आ. श्री भग्गालाल जी	सनातन नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 20 दुधाखेडी रोड पर भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
20	श्री सूरज सिंह आ. श्री भंवर सिंह	अम्बेडकर नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 52 का पूर्वी भाग बायपास रोड पर पचपहाड	आवासीय कालोनी
21	श्री रणजीत आ. श्री ओम	सनातन नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 43 का उत्तरी भाग दुधाखेडी रोड पर भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
22	श्री अशोक कुमार आ. श्री राधेश्याम	सनातन नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 47 दुधाखेडी रोड पर भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
23	श्री नन्दकिशोर शर्मा आ. श्री मिश्रीलाल शर्मा	सनातन नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 46 दुधाखेडी रोड पर भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
24	श्रीमती मांगी बाई पत्नी श्री मनहोर लाल	सनातन नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 18 दुधाखेडी रोड पर भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
25	श्रीमती सीमा शर्मा पत्नी श्री विनोद शर्मा	सनातन नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 25 दुधाखेडी रोड पर भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
26	श्री मोहम्मद इकबाल आ. श्री छन्नू मोहम्मद	तिरुपति नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 03 का दक्षिणी भाग मैला मैदान जाने वाले रास्ते पर भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
27	श्री रामलाल आ. श्री शिवलाल मेघवाल	सनातन नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 32 दुधाखेडी रोड पर भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
28	श्री बालू सिंह आ. श्री सादान सिंह	अम्बेडकर नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 52 का पश्चिमी भाग बायपास रोड पर पचपहाड	आवासीय कालोनी
29	श्री कालू व्यास आ. श्री गंगाराम व्यास	सनातन नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 53 दुधाखेडी रोड पर भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
30	श्री मुकेश लाल मेघवाल आ. श्री किशनलाल मेघवाल	सनातन नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 31 दुधाखेडी रोड पर भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
31	श्री रामलाल आ. श्री शिवलाल मेघवाल, श्री मुकेश लाल मेघवाल आ. श्री किशनलाल मेघवाल	सनातन नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 24 दुधाखेडी रोड पर भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
32	श्रीमती विनीता रानी अग्रवाल	सनातन नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 08 दुधाखेडी रोड पर भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
33	श्रीमती मंजु बाई पत्नी श्री नेपाल सिंह	सनातन नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 28 दुधाखेडी रोड पर भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी
34	श्री मोहम्मद इकबाल आ. श्री छन्नू मोहम्मद	तिरुपति नगर आवासीय कालोनी प्लाट नं. 02 का दक्षिणी भाग मैला मैदान जाने वाले रास्ते पर भवानीमण्डी	आवासीय कालोनी

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका भवानीमण्डी